निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 1 / 2025
दायरा दिनांकः–07.01.2025
निर्णय दिनांकः– 26.3.25

उनवान

1. कन्याबाई पति स्व0 मांगीलाल जाति चमार
2. जमनालाल पुत्र मांगीलाल जाति चामर
3. पन्ना पुत्र गंगाराम जाति चमार
4. ममता बैरवा पुत्री मांगीलाल जाति चमार
5. सीमा बैरवा पुत्री मांगीलाल जाति चमार निवासी ग्राम बमोरा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
6. सौरभ कुमार पुत्र रामबाबू जाति जाटव निवासी ग्राम शेखपुर तहसील बयाना जिला भरतपुर हाल छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार महोदय छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज०)।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर एक्ट

निर्णय दिनांकः– 26.3.25

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री राजेश लोधा– प्रार्थी

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा,136 एल0आर0एक्ट0 विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि ग्राम बमोरा तहसील छबडा जिला बारां राजस्थान में खसरा नम्बर 376 / 3 रकवा 0.3288 हैक्टयर, की राजस्व कर्मचारियो द्वारा राजस्व रिकार्ड में ऑनलाईन करते समय सहवन से खसरा नम्बर 376 / 3 के स्थान पर खसरा नम्बर 376 / 1 गलत तरमीम कर अंकित कर दिया है। जबकि प्रार्थीगण के कब्जा काश्त अनुसार तरमीम अनी थी। जा पूर्व से प्रार्थीगण के कब्जा काश्त मे चली आ रही है। आर आज भी प्रार्थीगण यही पर काबिज काश्त है। तथा प्रार्थीगण काबिज काश्त अनुसार उक्त आराजी के नक्शे लट्ठे मे तरमीम करवाना चाहते है। ताकि प्रार्थीगण उक्त आराजी को बिना किसी बांधा के कृषि कार्य कर सके। प्रार्थीगण ने राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियो से कही बार राजस्व रिकार्ड के नक्शे लठ्ठे मे दुरूस्त कर खसरा नम्बर 376 / 1 के स्थान पर खसरा नम्बर 376 / 3 अंकित कर तरमीम करवाना चाहा व निवेदन किया तो सभी

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

ने मना कर दिया व श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर संसोधन करने के आदेश लाने को कहा इस कारण यह प्रार्थना पत्र पेश है। उक्त तरमीम की त्रुटि का जानकारी नकल नक्शा ट्रेस जमाबंदी लेने पर हुआ।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थीया द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम बमोरा सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 132 नकल नक्शा ट्रेस सम्वत् 2010 नकल नक्शा ट्रेस ग्राम बमोरा, नकल नक्शा ट्रेस ग्राम बमोरा पेश किया गया।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि वर्तमान जमाबन्दी ग्राम बमोरा के खसरा नम्बर 376 के चार टुकडे हो रहे है खाता संख्या 318 के खसरा नम्बर 376 रकबा 0.3288 है0 भूमि में उंकार, गंगाबाई, आत्मज बूच्या उर्फ बूचीलाल नरेश कुमार पुत्र दुर्गालाल, नितेश पुत्र चौथमल, नीरज पुत्र प्रहलाद, पवन पुत्र देवलाल रूकमणी बाई पत्नि बूच्या उर्फ बूचीलाल, रामदयाल पुत्र लाडबाई पुत्री बूच्या उर्फ बूचीलाल, संजुबाई पत्नि भगवान सिंह खसरा नम्बर 376/1 रकबा 0.5691 है0 भूमि में अनार बाई पत्नि राधाकिशन नाबा अनीता बाई पुत्री जमनालाल गिरधारी पुत्र मेडू, गीता बाई, चौथमल, पुत्र जमनालाल, दुर्गालाल पुत्र जमनालाल, देवलाल पुत्र रामनाथ, प्रहलाद पुत्र जमनालालख बाबू पुत्र मन्डू, मांगी बाई पत्नि रमेश, सुगनाबाई पुत्री जमनालाल संजु बाई पुत्री रमेश, सूरजी बाई पत्नि जमनालाल, सीता पुत्री राधाकिशन, हेमराज पुत्र राधाकिशन के खातेदारी में खसरा नम्बर 376/2 रकबा 0.3288 है0 भूमि में मांगीलाल पुत्र रघुनाथ के खाते एवं खसरा नम्बर 376/3 रकबा 0.3288 है0 भूमि में कन्या बाई पत्नि मांगीलाल, जमनालाल पुत्र मांगीलाल पन्ना पुत्र गंगाराम ममता पुत्री मांगीलाल सीमा, सौरभ कुमार पुत्र रामबाबू हिस्सा 3/14 दर्ज रिकार्ड है सेटलमेन्ट जमाबन्दी में खसरा नम्बर 376 का रकबा 6.03 बीघा दर्ज रिकार्ड था जो नामान्तरण नम्बर 120 से 1.06 बीघा भूमि भैरूलाल पुत्र पन्ना के नाम दर्ज हुआ को बेचान कर दी गई नामान्तरण नम्बर 121 से 1.06 बीघा भूमि पन्ना पुत्र गंगाराम चमार को बेचान से नाम दर्ज हुआ नामान्तरण नम्बर 122 से 1.06 बीघा बेचान से मांगीलाल पुत्र रघुनाथ का नाम दर्ज हुआ। उक्त नामान्तरण नम्बरों पर खसरा नम्बर 376 के टुकडे होने हेतु नजरी नक्शा नही बना हुआ।

शुद्धि पत्र क्रम संख्या 4 दिनांक 20.11.2020 से जमाबन्दी सेटलमेन्ट में खसरा नम्बर 376 का रकबा 6.03 बीघा दर्ज रिकार्ड था जो नामान्तरण नम्बर 120 से 1.06 बीघा नामान्तरण नम्बर 121 से 1.06 बीघा व नामान्तरण नम्बर 122 से 1.06 बीघा बेचान हो गया है अतः खसरा नम्बर 376 के चार टुकडे हो गयें है जमाबन्दी सम्वत् 2076–79 के खाता से 127 में खसरा नम्बर 376/1 रकबा 1.06 बीघा के स्थान पर 376/3 रकबा 1.06 बीघा दर्ज किये जाने का आदेश हुआ। खसरा नम्बर 376 रकबा 6.03 बीघा भूमि मूल नक्शा लट्ठा अनुसार कुल रकबा 6.03 बीघा भूमि नामान्तरण नम्बर 120,121,122 व शुद्धि पत्र 4 में दर्ज खसरा नम्बर का DILRMP योजना अन्तर्गत तरमीम कार्य किया गया था। उक्त खसरा नं. की तरमीम को वादी कन्या बाई द्वारा मौके पर कब्जे अनुसार तरमीम नहीं बताया या है। खसरा नम्बर 376/1 के खातेदार पश्चिमी दिशा यानि की खसरा नम्बर 379

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

की मेड के लगवा कब्जा काश्त चला आ रहा है। खसरा नम्बर 376 के खातेदार खसरा नम्बर 376/1 की मेड के लगवा कब्जा काश्त कर रहे है खसरा नम्बर 376/3 के खातेदार खसरा नम्बर 376 की मेड के लगवा बैठे हुए है। ग्राम वासियान द्वारा बताया कि खसरा नम्बर 376/2 के खातेदार खसरा नम्बर 376/3 के उत्तर दिशा कि तरफ मौके पर बैठे हुए है। खसरा नम्बर 376, 376/1, 376/2 व 376/3 के खातेदार अपने-अपने खसरा नम्बर की भूमि पर मौके पर 70 साल से काश्त करतें हुए चले आ रहे है। जिसकी पुष्टि तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट में सहखातेदारों एवं ग्रामवासियों के हस्ताक्षर से होती है। जब तहसील ऑनलाईन हुई तब डिजीटल नक्शा में खसरा नम्बर मौके पर कब्जा अनुसार दर्ज नही हुए खसरा नम्बर 376, 376/1, 376/2, 376/3, की DILRMP योजना अन्तर्गत तरमीम कार्य करने के दौरान मौके अनुसार तरमीम नही होने के कारण उक्त खसरा नम्बरान की तरमीम मौके अनुसार करने की अनुशंषा की है।

बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सूनी गई बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम बमोरा तहसील छबडा में स्थित है। प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 367/3 रकबा 0.3288 है0 राजस्व रिकार्ड में आनॅलाईन करतें समय सहवन से खसरा नम्बर 376/3 के स्थान पर खसरा नम्बर 376/1 गलत तरमीम कर अंकित कर दिया है जबकि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त अनुसार तरमीम होनी थी। जो पूर्व से प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में चली आ रही है और आज भी प्रार्थी के कब्जे काश्त में है प्रार्थी कब्जे काश्त अनुसार विवादित आराजी को नक्शे लट्ठे में तरमीम कराना चाहतें है खसरा नम्बर 376/1 की भूमि की तरमीम मेन रोड छबडा-छीपाबडौद पर कर दी गई है जबकि मेन रोड पर प्रार्थीगण का भी कब्जा लगभग 50 साल से चला आ रहा है खसरा नम्बर 376/1 के खातेदार गलत तरमीम होने का नाजायज फायदा उठा कर प्रार्थीगण की भूमि पर जबरन कब्जा कर सकतें है प्रार्थी की भूमि की तरमीम कब्जे अनुसार दुरूस्त की जावें। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सूनी गई पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम बमोरा सम्वत् 2076-79 खाता संख्या 132 के अनुसार खसरा नम्बर 376/3 रकबा 0.3288 है0 प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है नकल नक्शा ट्रेस सम्वत् 2010 के अनुसार खसरा नम्बर 376 एक ही बडा नक्शा था नकल नक्शा ट्रेस सन् 1954-55 के अनुसार खसरा नम्बर 376 को चार भागों में विभक्त किया गया। तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान जमाबन्दी ग्राम बमोरा के खसरा नम्बर 376 के चार टुकडे हो रहे है खाता संख्या 318 के खसरा नम्बर 376 रकबा 0.3288 है0 भूमि में उंकार, गंगाबाई, आत्मज बूच्या उर्फ बूचीलाल नरेश कुमार पुत्र दुर्गालाल, नितेश पुत्र चौथमल, नीरज पुत्र प्रहलाद, पवन पुत्र देवलाल रूकमणी बाई पत्नि बूच्या उर्फ बूचीलाल, रामदयाल पुत्र लाडबाई पुत्री बूच्या उर्फ बूचीलाल, संजुबाई पत्नि भगवान सिंह खसरा नम्बर 376/1 रकबा 0.5691 है0 भूमि में अनार बाई पत्नि राधाकिशन

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

नाबा अनीता बाई पुत्री जमनालाल गिरधारी पुत्र मेडू, गीता बाई, चौथमल, पुत्र जमनालाल, दुर्गालाल पुत्र जमनालाल, देवलाल पुत्र रामनाथ, प्रहलाद पुत्र जमनालालख बाबू पुत्र मन्डू, मांगी बाई पत्नि रमेश, सुगनाबाई पुत्री जमनालाल संजु बाई पुत्री रमेश, सूरजी बाई पत्नि जमनालाल, सीता पुत्री राधाकिशन, हेमराज पुत्र राधाकिशन के खातेदारी में खसरा नम्बर 376/2 रकबा 0.3288 है0 भूमि में मांगीलाल पुत्र रघुनाथ के खाते एवं खसरा नम्बर 376/3 रकबा 0.3288 है0 भूमि में कन्या बाई पत्नि मांगीलाल, जमनालाल पुत्र मांगीलाल पन्ना पुत्र गंगाराम ममता पुत्री मांगीलाल सीमा, सौरभ कुमार पुत्र रामबाबू हिस्सा 3/14 दर्ज रिकार्ड है सेटलमेन्ट जमाबन्दी में खसरा नम्बर 376 का रकबा 6.03 बीघा दर्ज रिकार्ड था जो नामान्तरण नम्बर 120 से 1.06 बीघा भूमि भैरूलाल पुत्र पन्ना के नाम दर्ज हुआ को बेचान कर दी गई नामान्तरण नम्बर 121 से 1.06 बीघा भूमि पन्ना पुत्र गंगाराम चमार को बेचान से नाम दर्ज हुआ नामान्तरण नम्बर 122 से 1.06 बीघा बेचान से मांगीलाल पुत्र रघुनाथ का नाम दर्ज हुआ। उक्त नामान्तरण नम्बरों पर खसरा नम्बर 376 के टुकडे होने हेतु नजरी नक्शा नही बना हुआ।

शुद्धि पत्र क्रम संख्या 4 दिनांक 20.11.2020 से जमाबन्दी सेटलमेन्ट में खसरा नम्बर 376 का रकबा 6.03 बीघा दर्ज रिकार्ड था जो नामान्तरण नम्बर 120 से 1.06 बीघा नामान्तरण नम्बर 121 से 1.06 बीघा व नामान्तरण नम्बर 122 से 1.06 बीघा बेचान हो गया है अतः खसरा नम्बर 376 के चार टुकडे हो गयें है जमाबन्दी सम्वत् 2076–79 के खाता से 127 में खसरा नम्बर 376/1 रकबा 1.06 बीघा के स्थान पर 376/3 रकबा 1.06 बीघा दर्ज किये जाने का आदेश हुआ। खसरा नम्बर 376 रकबा 6.03 बीघा भूमि मूल नक्शा लट्ठा अनुसार कुल रकबा 6.03 बीघा भूमि नामान्तरण नम्बर 120,121,122 व शुद्धि पत्र 4 में दर्ज खसरा नम्बर का DILRMP योजना अन्तर्गत तरमीम कार्य किया गया था। खसरा नम्बर 376/1 के खातेदार पश्चिमी दिशा यानि की खसरा नम्बर 379 की मेड के लगवा कब्जा काश्त चला आ रहा है। खसरा नम्बर 376 के खातेदार खसरा नम्बर 376/1 की मेड के लगवा कब्जा काश्त कर रहे है खसरा नम्बर 376/3 के खातेदार खसरा नम्बर 376 की मेड के लगवा बैठे हुए है खसरा नम्बर 376/2 के खातेदार खसरा नम्बर 376/3 के उत्तर दिशा कि तरफ मौके पर बैठे हुए है। खसरा नम्बर 376, 376/1, 376/2 व 376/3 के खातेदार अपने–अपने खसरा नम्बर की भूमि पर मौके पर 70 साल से काश्त करतें हुए चले आ रहे है। जिसकी पुष्टि तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट में सहखातेदारों एवं ग्रामवासियों के हस्ताक्षर से होती है। जब तहसील ऑनलाईन हुई तब डिजीटल नक्शा में खसरा नम्बर मौके पर कब्जा अनुसार दर्ज नही हुए खसरा नम्बर 376, 376/1, 376/2, 376/3, की DILRMP योजना अन्तर्गत तरमीम कार्य करने के दौरान मौके अनुसार तरमीम नही होने के कारण उक्त खसरा नम्बरान की तरमीम मौके अनुसार (संलग्न नजरी नक्शा) करने की अनुशंषा की है।

अतः उपरोक्त के क्रम में तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट एवं पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार प्रार्थिगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तरमीम दूरस्त किया जाना न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है कि विवादित आराजी वाके ग्राम बमोरा तहसील छबडा के खसरा नम्बर 376/3 रकबा 0.3288 है0 भूमि पर कब्जा काश्त अनुसार खसरा नम्बर 376/1 के स्थान पर खसरा नम्बर 376/3 का नक्शे लट्ठे में तरमीम का दुरूस्त करने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जातें है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा